बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 58 ● नई दिल्ली ● बुधवार 10 दिसम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

सत्येंद्र जैन ने वापस लिया मानहानि का मुकदमा, भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज को बड़ी राहत

नई दिल्ली । दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ रोहिणी कोर्ट में दायर दीवानी मानहानि का मुकदमा वापस ले लिया है। उन्होंने यह मुकदमा पिछले साल दायर किया था। वरिष्ठ सिविल जज गौरव शर्मा ने मुकदमे की वापसी को स्वीकार कर लिया और मामले को वापस लिया गया कहकर निपटा दिया। जज ने अपने आदेश में कहा कि वादी मुकदमे का स्वामी है और इसलिए, उसे इसे वापस लेने का अधिकार है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए मामला वापस लिया गया कहकर निपटाया जाता है। जैन के वकील रजत भारद्वाज और करण शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि वादी वर्तमान मुकदमा वापस लेना चाहता है। इस साल जुलाई में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने जैन द्वारा दायर दीवानी मानहानि के मुकदमे को खारिज करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी।

राऊज़ एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली। राउज़ एवेन्यू स्थित सत्र न्यायालय ने मंगलवार को सोनिया गांधी को एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया। यह पुनरीक्षण याचिका मजिस्ट्रेट के सितंबर के उस आदेश को चुनौती देती है जिसमें 1980-81 की मतदाता सूची में सोनिया गांधी को गलत तरीके से शामिल करने का आरोप लगाने वाली एक शिकायत को खारिज कर दिया गया था। सत्र न्यायाधीश विशाल गोगने ने पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रारंभिक प्रस्तुतियाँ सुनने के बाद यह निर्देश दिया। पुनरीक्षणकर्ता विकास त्रिपाठी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नारंग ने तर्क दिया कि इस मामले पर पुनर्विचार आवश्यक है क्योंकि रिकॉर्ड में प्रस्तुत सामग्री से संकेत मिलता है कि भारतीय नागरिक बनने से पहले सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के तरीके

में गंभीर अनियमितताएँ थीं। उन्होंने दलील दी कि 1980 की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए कुछ दस्तावेजों में जालसाजी और हेराफेरी की गई होगी, और इस बात पर ज़ोर दिया कि बाद में उनका नाम हटा दिया गया और फिर जनवरी 1983 में दायर एक आवेदन के आधार पर 1983 में फिर से दर्ज किया गया। उनके अनुसार, दोनों ही घटनाएँ उनके नागरिकता प्राप्त करने से पहले की हैं। नारंग ने तर्क दिया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम स्पष्ट रूप से केवल भारत के नागरिक को ही मतदाता के रूप में नामांकित करने की अनुमति देता है, और इसलिए, प्रविष्टियों ने न्यायिक जाँच की आवश्यकता वाले प्रश्न उठाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हालाँकि प्रारंभिक शिकायत मतदाता सूची की क्लिप वाले एक लेख पर आधारित थी, लेकिन संशोधनकर्ता ने अब चुनाव आयोग से सत्यापित प्रतियाँ प्राप्त कर ली हैं, जिन्हें दावे की पुष्टि के लिए रिकॉर्ड में रखा गया है। प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, न्यायाधीश गोगने ने सोनिया गाँधी सहित दोनों प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। अभियोजक ने राय की ओर से नोटिस स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि संशोधन में उठाए गए मुद्दों के पूर्ण मूल्यांकन के लिए ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड (अष्टक) को तलब किया जाए। मामला अब 6 जनवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, जब सत्र न्यायालय मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत को प्रारंभिक चरण में ही खारिज करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की जाँच जारी रखेगा।

बहू का रहने का अधिकार असीमित नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला को ससुराल खाली करने के दिए आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने घरेलू हिंसा कानून के तहत महिला के शेयर्ड हाउसहोल्ड के अधिकार को लेकर एक अहम फैसला दिया है. कोर्ट ने साफ कहा है कि यह अधिकार सुरक्षा से जुड़ा है, न कि ससुराल की संपत्ति पर मालिकाना हक या अनिश्चित समय तक वहां रहने का लाइसेंस. खासतौर पर तब, जब बेटी-बहू की मौजूदगी से बुजुर्ग सास-ससुर को मानसिक और शारीरिक नुकसान हो रहा हो. दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस अनिल क्षेतरपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कई मामलों में यह स्पष्ट कर चुका है कि महिला के रहने के अधिकार को वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के शांतिपूर्ण जीवन और संपत्ति के अधिकार के साथ संतुलित किया जाना चाहिए. हाई कोर्ट ने मंजू अरोड़ा बनाम नीलम अरोड़ा मामले का हवाला देते हुए कहा कि जब सास-ससुर की सेहत और गरिमा पर असर पड़ रहा हो तो बहू को अनंत काल तक उनके घर में रहने का अधिकार नहीं दिया जा सकता. कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी कानून की व्याख्या इस तरह नहीं की जा सकती कि मालिक को अपने ही घर में शांति से रहने के अधिकार से वंचित कर दिया जाए. दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला की अपील खारिज की जिसमें महिला ने सिंगल जज के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे दो महीने के भीतर ससुराल का मकान खाली करने को कहा गया था. साथ ही पति को वैकल्पिक आवास और मासिक भरण-पोषण देने के अंतरिम निर्देश भी दिए थे. हाई कोर्ट ने कहा कि जज का फैसला सही था क्योंकि बहू का वहां रहना सास ससुर के लिए गंभीर परेशानी का कारण बन रहा था. दिल्ली हाई कोर्ट के मुताबिक तय किया गया अंतरिम इंतजाम संतुलित और न्यायसंगत है, जिससे महिला और बच्चों की जरूरतें भी पूरी होती हैं और बुजुर्गों को सम्मानजनक और शांत जीवन भी मिलता है. कोर्ट ने साफ किया कि यह मामला ऐसा नहीं है जिसमें महिला को बेघर किया जा रहा हो.

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का दावा, चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का कोई कानूनी अधिकार नहीं

नई दिल्ली। मंगलवार को संसद में चुनाव सुधारों पर गरमागरम बहस चल रही है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के नेतृत्व में विपक्ष ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) पर तीखा हमला बोला है और मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संचालन के लिए उसकी निष्पक्षता और उसके कानूनी अधिकार, दोनों पर सवाल उठाए हैं। सदन को संबोधित करते हुए, तिवारी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ कई सदस्यों को भारतीय चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने पड़ रहे हैं।

तिवारी ने सुझाव दिया कि पहला सुधार चुनाव आयोग के सदस्यों के चयन से संबंधित कानून में संशोधन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहला सुधार जो होना चाहिए, वह चुनाव आयोग के सदस्यों के चयन को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन है। मेरा सुझाव है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयोग की समिति में शामिल किया जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद ने विभिन्न राज्यों में चल रही व्यवस्थित आंतरिक सुधार (एसआईआर) प्रक्रिया की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में एसआईआर चल रहा है, लेकिन भारत के चुनाव आयोग के पास एसआईआर आयोजित करने का कोई कानूनी औचित्य नहीं है। उन्होंने आयोग के ऐसे सुधारों को लागू करने के अधिकार पर सवाल उठाया। संसद के निचले सदन ने चुनाव सुधारों पर चर्चा शुरू कर दी है, जिसमें विभिन्न राज्यों में भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा शुरू की गई एसआईआर प्रक्रिया भी शामिल है। विपक्षी दल महीनों से एसआईआर पर बहस की मांग कर रहे हैं, कांग्रेस मतदाता सूची में विसंगतियों का आरोप लगा रही है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) इस चर्चा में हस्तक्षेप कर सकते हैं। एलओपी एसआईआर के मुखर आलोचक रहे हैं और उनका आरोप है कि सरकार इस प्रक्रिया का इस्तेमाल असली मतदाताओं को हटाने के लिए कर रही है।

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कैबिनेट संग स्वर्ण मंदिर में की सेवा, कहा- हमने गुरु तेग बहादुर साहिब के शहीदी पर्व पर किया भव्य आयोजन

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ सोमवार को अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेकने पहुँचीं। पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनकी पहली स्वर्ण मंदिर यात्रा थी। गुप्ता ने पवित्र तीर्थस्थल पर शीश झुकाकर प्रार्थना की और दरबार साहिब में हृदय से कृतज्ञता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने पिछले महीने लाल किले के प्रांगण में पूज्य गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित तीन दिवसीय गुरमत समागम के सुचारू और सफल आयोजन का श्रेय गुरु तेग बहादुर जी के आशीर्वाद को दिया। उन्होंने कहा कि इसी कारण से मैं अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ गुरु का आशीर्वाद लेने और कृतज्ञता व्यक्त करने यहाँ आई हूँ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने इस पवित्र स्थल पर महसूस की गई आध्यात्मिक ऊर्जा का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि यह मंदिर न केवल एक धरोहर है, बल्कि आस्था, सेवा और चरित्र निर्माण का केंद्र भी है। उन्होंने कहा कि गुप्ता ने सभी के कल्याण, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। आज मुझे श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पवित्र स्थान के दर्शन मात्र से ही अद्भुत शांति का अनुभव होता है। स्वर्ण मंदिर केवल एक धरोहर स्थल ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा और सेवा का एक दिव्य केंद्र है, जहाँ आस्था कर्म में परिवर्तित होती है और भक्ति चरित्र का निर्माण करती है। यहाँ मैंने सबके कल्याण (सरबत दा भला) की प्रार्थना की, और सभी के लिए सुख, स्वास्थ्य और कल्याण की कामना की। दिल्ली में लाल किले पर गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य समारोह का सफल आयोजन, वाहेगुरु की असीम कृपा और गुरु साहिब की असीम कृपा का परिणाम है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वाहेगुरु हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमें सेवा, करुणा और कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहने की शक्ति प्रदान करें। इस यात्रा से पहले, भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने विमान के अंदर से तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें दिल्ली से अमृतसर जाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने लिखा माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और अन्य मंत्रिमंडल सदस्यों के साथ 350वें प्रकाश पर्व के सफल आयोजन के लिए अरदास और शुक्राना अर्पित करने के लिए जाते हुए मुझे बहुत खुशी हुई।

प्रदूषण से थोड़ी राहत... लेकिन हवा है अभी भी खराब

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली की हवा मंगलवार को खराब श्रेणी में दर्ज की गई। शहर के कई हिस्सों में स्मॉग की पतली चादर छाई रही, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, सुबह आठ बजे राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 292 था। सुबह-सुबह इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर हल्की धुंध दिखाई दी। जहां इन क्षेत्रों के आसपास एक्यूआई 265 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। आईटीओ में एक्यूआई 294, अलीपुर में 282, आया नगर में 253 और बुराड़ी में 291 रहा। वहीं, अक्षरधाम में प्रदूषण का स्तर काफी अधिक रहा, जहां एक्यूआई 319 तक पहुंच गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। इसी तरह की स्थिति गाजीपुर और आनंद विहार से भी सामने आई। जहां एक्यूआई 319 दर्ज किया गया। अशोक विहार में 305, बवाना में 342, आनंद विहार में 319, चांदनी चौक में 333 और द्वारका में 314 सहित कई अन्य प्रमुख स्टेशनों पर भी एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में रहा। वहीं सोमवार सुबह की शुरुआत धुंध और हल्के कोहरे से हुई। वहीं, आसमान में स्मॉग की हल्की चादर भी दिखाई दी। इसके चलते दृश्यता भी कम रही। इस दौरान लोग मास्क पहने नजर आए। साथ ही, सांस के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस

दौरान वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 314 दर्ज किया गया। यह हवा की बेहद खराब श्रेणी है। इसमें रविवार की तुलना में छह सूचकांक की वृद्धि दर्ज की गई। दूसरी ओर, एनसीआर में नोएडा की हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही। यहां एक्यूआई 330 दर्ज किया गया, यह बेहद खराब श्रेणी है। वहीं, गाजियाबाद में 309, ग्रेटर नोएडा में 302 और गुरुग्राम में 278 एक्यूआई दर्ज किया गया। इसके अलावा, फरीदाबाद की हवा सबसे साफ रही। यहां सूचकांक 203 दर्ज किया गया। यह हवा की खराब श्रेणी है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए निर्णय सहायता प्रणाली के अनुसार, वाहन से होने वाला प्रदूषण 17.58 फीसदी रहा। इसके अलावा आवासीय इलाकों से 4.29, निर्माण गतिविधियों से 2.49 और पेरिफेरल उद्योग से 8.42 फीसदी की भागीदारी रही। सीपीसीबी के अनुसार, सोमवार को हवा उत्तर-पश्चिम दिशा से 20 किलोमीटर प्रतिघंटे के गति से चली। वहीं, अनुमानित अधिकतम मिश्रण गहराई 900 मीटर रही। इसके अलावा, वेंटिलेशन इंडेक्स 6000 मीटर प्रति वर्ग सेकंड रहा। दूसरी ओर, दोपहर एक बजे हवा में पीएम 10 की मात्रा 250.2 और पीएम 2.5 की मात्रा 138.8 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज की गई। वहीं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) का पूर्वानुमान है कि बृहस्पतिवार तक हवा बेहद खराब श्रेणी में ही बरकरार रहेगी। इसके चलते सांस के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही, लोगों को आंखों में जलन जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही, कई इलाकों में गंभीर और बेहद खराब श्रेणी में हवा दर्ज की गई।

राजधानी दिल्ली का भविष्य खतरे में !

सर्वोच्च न्यायालय के ताज़ा आदेश ने दिल्लीवासियों और उनकी भविष्य की पीढ़ियों का जीवन खतरे में डाल दिया है। इस आदेश के अनुसार दिल्ली की सीमा से सटी अरावली पर्वत श्रृंखला की हरियाली पर दूरगामी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले ने अरावली पर्वतमाला को 100 मीटर की ऊंचाई के आधार पर परिभाषित कर दिया है जिससे इसके विशाल भाग को कानूनी संरक्षण से बाहर रखा जा रहा है। यह फैसला उत्तर-पश्चिम भारत, खासकर दिल्ली एनसीआर के पर्यावरण के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अरावली न केवल रेगिस्तानीकरण की एकमात्र रोक है, बल्कि यह जल संवर्धन क्षेत्र, प्रदूषण के लिए सिंक, वन्यजीवों के आवास और जन स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अरावली दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। यह थार मरुस्थल से आने वाली धूल और प्रदूषण को रोकती है। अगर अरावली के बड़े हिस्से को संरक्षण से बाहर रखा गया तो दिल्ली-एनसीआर में धूल तूफान, वायु प्रदूषण और जल संकट बढ़ सकता है। अरावली की चट्टानों में दरारें प्राकृतिक जल संवर्धन के लिए अहम हैं। यहां प्रति हैक्टेयर दो मिलियन लीटर जल संवर्धन की क्षमता है जिससे पूरे क्षेत्र का भूजल स्तर बना रहता है। इसके अलावा, अरावली विविध वन्यजीवों का आवास है, जिसमें सैकड़ों प्रजातियां शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को केवल उन्हीं भू-आकृतियों तक सीमित कर दिया है जो स्थानीय स्तर से 100 मीटर ऊंचाई पर हैं। इससे अरावली के लगभग 90% भाग को संरक्षण से बाहर रखा गया है, जिसमें छोटे टीले, ढलानें और बफर क्षेत्र शामिल हैं। यह निर्णय खनन, निर्माण और रियल एस्टेट गतिविधियों के लिए दरवाजे खोल देगा जिससे जैव विविधता, जल संवर्धन और वायु गुणवत्ता पर गंभीर खतरा होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न्यायिक संरक्षण के सिद्धांतों के खिलाफ भी जा सकता है। अदालतें पर्यावरणीय न्याय के लिए जानी जाती हैं लेकिन इस निर्णय से ऐसा लगता है कि व्यावसायिक और विकासात्मक हितों को पर्यावरणीय और सामाजिक हितों पर प्राथमिकता दी जा रही है। यह भविष्य में अन्य पर्यावरणीय मामलों में भी खराब उदाहरण साबित हो सकता है जिससे प्राकृतिक संसाधनों की लूट को और बढ़ावा मिल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय भारत के पर्यावरणीय संतुलन को गहराई से प्रभावित करेगा। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण का मुद्दा न केवल पर्यावरणीय और आर्थिक है, बल्कि यह नैतिक और न्यायिक भी है। भारत के संविधान के अनुछेद 48 और 51A(g) में पर्यावरण संरक्षण का अधिकार और कर्तव्य शामिल है, जिसके तहत राय और नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करें। जानकारों के अनुसार इस नए निर्णय से यह जिम्मेदारी और अधिकार कमजोर हो रहा है, क्योंकि अरावली के बड़े हिस्से को संरक्षण से बाहर रखकर इसकी प्राकृतिक संपदा का दोहन आसान हो जाएगा। अरावली के आसपास रहने वाले स्थानीय समुदाय, आदिवासी, किसान और ग्रामीण इस पर्वतमाला की सुरक्षा के लिए सबसे यादा आवाज उठा रहे हैं। उनका तर्क है कि अरावली न केवल उनकी आजीविका का स्रोत है, बल्कि उनकी संस्कृति और पहचान का हिस्सा भी है। अगर इसकी सुरक्षा नहीं होगी तो इन समुदायों की जीवन शैली, आस्था और भावनाएं भी खतरे में पड़ेंगी। यह निर्णय न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि सामाजिक असमानता और विस्थापन को भी बढ़ावा देगा। राजस्थान में जहां बादल उठते थे, वहीं अरावली के जंगल उन्हें बरसाते थे।

खनन के कारण अरावली का तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ जाता है। पहले जयपुर की झालाना डूंगरी में खनन के कारण दोपहर बाद, जयपुर के अन्य हिस्सों की तुलना में वहां का तापमान 1 से 3 डिग्री अधिक रहता था। सर्दियों में भी झालाना का तापमान जयपुर से अलग रहता था। खनन अरावली की प्रकृति और संस्कृति-दोनों के विरुद्ध है। इससे हमारी पारिस्थितिकी बिगड़ती है। हां, कुछ खनन-मालिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है परंतु अधिकतर लोगों को सिलिकोसिस जैसी भयानक बीमारियां हो जाती हैं जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है और फिर बीमारी के कारण आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगती है। अरावली की हरियाली ही हमारी अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी का आधार है। जैसे हमारे शरीर का आधार हमारी रीढ़ है, वैसे ही अरावली भारत की रीढ़ है, इसलिए इसकी सुरक्षा आवश्यक है। अरावली को खनन-मुक्त करना ही भारत की समृद्धि का मार्ग है। समृद्धि केवल आर्थिक ढांचा ही नहीं है; हमारे जीवन-ज्ञान ने हमें 200 वर्ष पूर्व तक 32% जीडीपी तक पहुंचाया था, तब भारत में बड़े पैमाने पर खनन नहीं था। हमारी खेती, संस्कृति और प्रकृति ने ही हमें समृद्ध बनाए रखा था। अरावली की समृद्धि का ढांचा खनन में नहीं, बल्कि हरियाली में है। हरियाली से बादल रूठकर बिना बरसे कहीं और नहीं जाते, अरावली में ही अच्छी वर्षा करते हैं। वर्षा का पानी खेतों में खेती करने हेतु रोजगार के अवसर देता है। अरावली के जवानों को अरावली के जल के सहारे खेती-किसानी करने का अवसर मिलेगा।

अरावली पर्वतमाला की परिभाषा को केवल ऊंचाई पर आधारित करना भू-वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गलत है। इसकी वास्तविक पहचान उसकी भू-आकृति, जैव विविधता, जल संवर्धन क्षमता और पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित होनी चाहिए। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि अरावली के छोटे टीले और ढलानें भी जल संवर्धन और वायु गुणवत्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें संरक्षण से बाहर रखना पर्यावरणीय विज्ञान के सिद्धांतों के खिलाफ है। अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा न केवल पर्यावरण के लिए खतरनाक है, बल्कि इससे दिल्ली-एनसीआर के लिए जल सुरक्षा, वायु गुणवत्ता और जन स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा होगा। इस फैसले को समीक्षा के लिए तुरंत लाया जाना चाहिए ताकि उत्तर-पश्चिम भारत की जैव विविधता, जल संवर्धन और जन स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अरावली की सुरक्षा न केवल वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है, बल्कि यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक नैतिक दायित्व है। इसकी रक्षा के लिए नागरिक जागरूकता, स्थानीय समुदायों की भागीदारी, वैज्ञानिक सलाह और नीतिगत समीक्षा जरूरी है। यह सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि एक सामाजिक, आर्थिक और नैतिक चुनौती है, जिसे हल करने के लिए सभी को एकजुट होना होगा। अरावली की रक्षा भारत को प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करने के बराबर है, जिसके लिए हर नागरिक को जिम्मेदारी लेनी होगी।

सम्पादकीय...

बाबरी बनाम गीता पाठ

पश्चिम बंगाल की सियासत में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों का नैरेटिव सैट हो चुका है और यह नैरेटिव है ध्रुवीकरण का। राय में एक तरह से धर्मयुद्ध छिड़ता दिखाई दे रहा है। धार्मिक प्रतीकों के जरिए राजनीतिक ध्रुवीकरण का नया दौर शुरू हो चुका है। मुर्शिदाबाद जिले में तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बेलडांगा क्षेत्र में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक नई मस्जिद का शिलान्यास किया जिससे सियासत में हलचल मच गई है। विधायक हुमायूं कबीर के इस कदम को मुस्लिम बहुल इलाकों में अल्पसंख्यक वोटों को एकजुट करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। कबीर ने तो ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर अगला चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी है। दूसरी ओर कोलकाता में आस्था का अलग ही सैलाब देखने को मिला। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जो हुआ उसे सामान्य नहीं कहा जा सकता। सनातन संस्कृति संसद के झंडे तले लगभग 5 लाख लोगों ने गीता का सामूहिक पाठ किया। मंच पर संतों की मौजूदगी थी। इस धार्मिक आयोजन में बंगाल भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी मौजूद रहा। इस कार्यक्रम में महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, साध्वी ऋतम्भरा, योग गुरु बाबा रामदेव, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र किशन शास्त्री और अनेक संत-महात्मा शामिल हुए। तीखी बयानबाजी हुई। बयानों का संदेश स्पष्ट था, हम गजवा-ए-हिंद नहीं, भगवा हिंद चाहते है। यह राष्ट्र राम का है राम का ही रहेगा। गीता पाठ के आयोजन के बाद हुमायूं कबीर ने भी एक लाख मुसलमानों को लेकर कुरान का पाठ कराने की घोषणा कर दी। उनका तर्क है कि अगर राम मंदिर बन सकता है तो बाबरी की याद में मस्जिद क्यों नहीं बन सकती। यह सीधे-सीधे ध्रुवीकरण की कोशिश है। पश्चिम बंगाल में साम्प्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है। गीता पाठ करने वालों का तर्क है कि भारत में हमें सनातनी चाहिए, तनातनी नहीं। सनातनी एकता ही विश्व शांति का सबसे बड़ा साधन है। भारत में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। कोई मंदिर बनाये या मस्जिद बनाए इस पर किसी को क्या आपत्ति है। आस्था पूरी तरह से व्यक्तिगत होती है लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद का निर्माण कर समाज में जहर घोलना ठीक नहीं। बाबर एक आक्रांता था। उसने सैन्य ताकत के बल पर भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित किया था। मुगलों ने 300 से अधिक वर्षों तक भारत पर राज किया। बाबरी मस्जिद का विवाद भी उसी से जुड़ा हुआ था। बाबर ने भारत में बहुत लूट मचाई। मुगल शासन में सदियों तक भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य को प्रभावित किया। मैं उसके इतिहास में नहीं जाना चाहता लेकिन ऐसे मुगल शासक को स्वतंत्र भारत में महिमा मंडित करने का कोई औचित्य मुझे नजर नहीं आता। श्रीमद्भगवद गीता का भारत के बहुसंख्यक हिन्दुओं के लिए बहुत महत्व है। यह एक जीवन दर्शन है। मनुष्य को जीवन की सही दिशा की अनुभूति गीता ही कराती है। भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में सही निर्णय लेने के लिए न सिर्फ गीता का उपदेश दिया था, बल्कि उन्हें साक्षात अपने विराट रूप के दर्शन भी कराये थे। द्वापर युग में दी गई भगवान श्रीकृष्ण की सीख आज भी इंसान को-सुख-शांति और मुक्ति प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शक का काम करती है। गीता के उपदेश को यदि कोई व्यक्ति अमल में लाएगा तो उसका जीवन ही बदल जाएगा। फल की चिंता किए बिना कर्म करने का संदेश गीता में ही दिया गया है। पश्चिम बंगाल में सत्ता का रास्ता मुस्लिम मतों से होकर गुजरता है इसलिए पश्चिम बंगाल में धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण का युद्ध शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के लिए पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव किस तरह लड़ा और जीता जाता है इस समय भाजपा से बेहतर कोई नहीं जानता। कभी पश्चिम बंगाल में भाजपा का कोई जनाधार नहीं था। पिछले एक दशक में जिस तरह से भाजपा ने वहां अपने पांव जमाये है उससे समझा जा सकता है। अगर हुमायूं कबीर और ओवैसी मुस्लिम मतों का विभाजन कराने में सफल हो जाते है तो तृणमूल कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है। ममता के पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी का खतरा पैदा हो चुका है। भाजपा हिन्दुत्व की पिच पर आक्रामक बैटिंग कर रही है। पश्चिम बंगाल के हिन्दुओं को बाबरी के नाम पर मस्जिद निर्माण कराना भावनात्मक रूप से आहत कर रहा है। अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बाबरी मस्जिद निर्माण का विरोध करती हैं तो उनका कोर वोट बैंक खिसक सकता है। अगर ममता खामोश रहती हैं तो भी इसे तुष्टिकरण ही माना जाएगा। जिन हवाओं में सोनार बांग्ला के वादे गूंजने चाहिए उन हवाओं में अब उन्मादी नारे गूंज रहे हैं। सारी सियासत हिन्दू- मुसलमान के बीच सिमट कर रह गई है। सत्ता का महल कौन बनाएगा। यह तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे लेकिन बहुसंख्यकों की भावनाओं को लामबंद करने का खेल शुरू हो चुका है। डर इस बात का है कि पश्चिम बंगाल की सियासत कहीं खूनी न हो जाए। मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यकों की भावनाओं को समझे और बाबरी की तर्ज पर मस्जिद निर्माण का इरादा त्यागे तो ही साम्प्रदायिक सद्भाव का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। देखना होगा कि सियासत क्या करवट लेती है।

भारत नाम प्रस्ताव देश की आत्मा, ऐतिहासिक पहचान और समकालीन राष्ट्रीयता के बीच एक संवाद स्थापित करता है

वैश्विक स्तरपर यह गूंज उठना शुरू हुई है कि भारत का नाम क्या होना चाहिए,इंडिया या भारत यह प्रश्न भारतीय राजनीतिक इतिहास में भी समय-समय पर चर्चा का विषय रहा है। दिसंबर 2025 के शीतकालीन सत्र में जयपुर से एक सांसद द्वारा एक महत्वपूर्ण प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में यह प्रस्ताव फिर से संसद के केंद्र में आ गया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत कहा है। इस प्रस्ताव ने न केवल संसद बल्कि विशेषज्ञों,इतिहासकारों, संवैधानिक विद्वानों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भी एक नई बहस को जन्म दिया है। प्रस्ताव में कई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भाषाई तर्क प्रस्तुत किए गए,जिनके आधार पर भारत को राष्ट्र का एकमात्र आधिकारिक नाम घोषित करने की मांग उठाई गई है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि प्रस्ताव देश की आत्मा ऐतिहासिक पहचान और समकालीन राष्ट्रीयता के बीच एक संवाद स्थापित करता है।इस प्रस्ताव के अनुसार, यह तथ्य सर्वविदित है कि भारतीय उपमहाद्वीप को सदियों से विश्व के विभिन्न हिस्सों में अलग- अलग नामों से जाना जाता रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के कारण इंडस, फारसी भाषाई प्रभाव के कारण हिंदोस से हिंदुस्तान, और वैदिक परंपरा के मूल में भारत नाम। भारत शब्द का उल्लेख वेदों पुराणों उपनिषदों से लेकर महाभारत और कूटनीतिक साहित्य तक प्राचीन काल से मिलता है।प्रस्ताव का पहला मुख्य तर्क यही है कि भारत यह प्राचीन, सभ्यतागत और सांस्कृतिक नाम है, जिससे यह भूमि सहस्त्राब्दियों से पहचानी जाती रही है। संसद में दिए गए वक्तव्य में कहा गया कि जिस देश को हम सदियों से मदर इंडिया या मदर लैंड कहते रहे हैं, उसका वास्तविक, ऐतिहासिक और साहित्यिक नाम भारत ही है।दिसंबर 2025 में जयपुर से एक सांसद द्वारा संसद के शीतकालीन सत्र में एक महत्वपूर्ण प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह प्रस्ताव रखा गया कि राष्ट्र का नाम इंडिया से बदलकर भारत कर दिया जाए। यह प्रस्ताव केवल भाषाई या शब्दावली परिवर्तन नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता, औपनिवेशिक इतिहास, संवैधानिक प्राथमिकताओं और सांस्कृतिक आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है।बिल में कई संरचनात्मक तर्क,ऐतिहासिक साक्ष्य अंतरराष्ट्रीय संदर्भ और संविधान आधारित प्रावधान शामिल किए गए, जो भारत को राष्ट्र का एकमात्र आधिकारिक नाम घोषित करने की मांग करते हैं।मैं इस लेख के माध्यम से इस बिल के मुख्य प्रावधानों, ऐतिहासिक दावों, तर्कों और उनके प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। साथियों बात अगर हम भारत नाम की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ें इसको समझने की करें तो,बिल के प्रारंभिक भाग में यह उल्लेख किया गया है कि जिस देश को हम सदियों से भारतवर्ष कहते आए है, उसका मूल नाम भारत ही है। बिल के अनुसार, यह नाम वेदों, पुराणों, महाभारत और कूटनीतिक साहित्य में हजारों वर्षों से मौजूद है। ब्रिटिश शासनकाल से पूर्व अंतरराष्ट्रीय यात्रियों, विद्वानों और इतिहासकारों ने इस भूमि को भारत के रूप में ही संबोधित किया।बिल का तर्क है कि भारत शब्द केवल एक नाम नहीं बल्कि सभ्यता की आत्मा, सांस्कृतिक मूल्यों आध्यात्मिक दर्शन और राष्ट्रीय पहचान का प्रतिनिधि है।बिल में यह स्पष्ट किया गया है कि इंडिया शब्द का औपचारिक उपयोग कॉलोनियल पीरियड में बढ़ा और ब्रिटिश प्रशासन ने इसे सरकारी दस्तावेजों में मानक रूप में स्थापित कर दिया,हालांकि भारतीय समाज ने हमेशा साहित्य, संस्कृति, धर्म और दार्शनिक परंपरा में भारत शब्द का ही उपयोग किया।

बिल में कहा गया है कि आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी औपनिवेशिक शब्दावली का उपयोग करना एक राष्ट्रीय विसंगति है, जिसे सुधारने का यही उचित समय है। साथियों बात अगर हम संविधान का अनुच्छेद 1 और बिल का मुख्य संवैधानिक आधार इसको समझने की करें तो बिल का सबसे महत्वपूर्ण आधार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है जिसमें लिखा है-इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स-बिल में कहा गया संविधान ने भारत को मूल नाम और इंडिया को अनुवाद या वैकल्पिक नाम के रूप में रखा।हिंदी संस्करण और कई भारतीय भाषाओं के स्वीकृत संस्करणों में राष्ट्र का नाम भारत ही है।संविधान की व्याख्या के अनुसार, जब कोई एक नाम मूल है, तो राष्ट्रीय सम्मान, दस्तावेजों, सरकारी संचार और अंतरराष्ट्रीय पहचान में वही नाम प्राथमिक होना चाहिए।बिल में यह भी प्रस्ताव रखा गया है कि आवश्यकता होने पर संविधान के अंग्रेजी अनुवाद में संशोधन किया जाए ताकि इंडिया शब्द को हटाकर केवल भारत नाम ही सभी दस्तावेजों में प्रयोग किया जाए। साथियों बात अगर हम बिल में शामिल प्रस्तावित प्रावधानों को समझने की करें तो,बिल में निम्नलिखित मुख्य प्रावधानों का उल्लेख किया गया है-(अ) राष्ट्र का एकमात्र आधिकारिक नाम भारत घोषित किया जाए।यह प्रावधान कहता है किसरकारी दस्तावेज, पासपोर्ट, मुद्रा, कोर्ट रिकॉर्ड, राजपत्र, मंत्रालयों के नाम, विदेश मंत्रालय के दस्तावेज अंतरराष्ट्रीय समझौते सबमें केवल=भारत= लिखा जाए। =रिपब्लिक ऑफ इंडिया= को बदलकर =रिपब्लिक ऑफ भारत= या =भारत गणराज्य= कियाजाए (ब) सभी संवैधानिक और गैर-संवैधानिक दस्तावेजों में इंडिया शब्द का उपयोगचरणबद्ध तरीके से बंद हो।बिल में 3 वर्षों की संक्रमण अवधि का प्रस्ताव रखा गया है।इस अवधि में सरकारी एजेंसियाँ अपने दस्तावेज वेबसाइट,साइनेज और एम्बलम अपडेट करेंगी।(क) स्कूल, विश्वविद्यालय और अन्य अकादमिक पाठ्यक्रमों में भारत नाम को मानक रूप में लागू किया जाए।इतिहास, राजनीति, भूगोल और नागरिक शास्त्र की पुस्तकों में भारत का ही उपयोग हो।सीबीएसई, एनसीईआरटी तथा यूजीसी को निर्देश जारी करने का प्रस्ताव।

(ड)अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ भारत का आधिकारिक नाम भारतके रूप में दर्ज कराया जाए।यूएन आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक,डब्ल्यूटीओ यूनेस्को आदि में नाम अपडेशन का प्रस्ताव।(ई)संविधान के अंग्रेजी अनुवाद में संशोधन करके इंडिया शब्द को हटाया जाए।सभी आधिकारिकअनुवादों में प्राथमिकता भारत को दी जाए।(फ) नागरिकों और वैश्विक मंचों पर भी राष्ट्र का एकीकृत नाम उपयोग में लाया जाए,बिल कहता है कि =एक स्वतंत्र राष्ट्र की एक ही पहचान और एक ही नाम होना चाहिए।=इन प्रावधानों का उद्देश्य राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान को एकीकृतकरना और औपनिवेशिक अवशेषों से छुटकारा पाना है। साथियों बात अगर हम शहरों के नाम बदले जा सकते है, तो राष्ट्र का क्यों नहीं? इसको समझने की करें तो,बिल में यह बेहद मजबूत तर्क दिया गया कि भारत ने पिछले वर्षों में शहरों और राज्यों के नाम उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्वरूप में बदले, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, प्रयागराज, गुरुग्राम इत्यादि।तो सवाल यह है कि यदि शहरों और स्थानों के नाम उनके सांस्कृतिक मूल के अनुरूप बदले जा सकते हैं, तो देश के नाम को उसके मूल स्वरूप भारत में क्यों नहीं।लौटाया जाए,?इस तर्क के अनुसार, यदि स्थानों के औपनिवेशिक नाम बदले जा सकते हैं, तो देश के नाम पर भी समान सिद्धांत लागू होना चाहिए।संस्कृति, सभ्यता और भारत की पहचान बिल का चौथा तर्क सांस्कृतिक और सभ्यतागत आयाम पर केंद्रित है। प्रस्ताव में कहा गया,भारत शब्द में हजारों वर्षों के धार्मिक, सामाजिक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मूल्यों की परंपरा निहित है।महाभारत,विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों मेंभारतवर्ष का उल्लेख मिलता है।सभ्यता और संस्कृति का वास्तविक प्रतीक भारत है,न कि इंडिया इस परिप्रेक्ष्य में बिल स्पष्ट करता है कि भारत मात्र एक नाम नहीं बल्कि एक निरंतर सभ्यता की पहचान है,जो समयराजनीति और राजवंशों से परे है।अंग्रेजी अनुवाद में विसंगति और सुधार का प्रस्ताव,बिल में कहा गया है कि अंग्रेजीट्रांसलेशन की वजह से इंडिया शब्द प्रशासनिक रूप से प्रमुख हो गया।बिल काप्रस्ताव अंग्रेजी अनुवाद समिति बनाई जाए,यह समिति संविधान एवं अन्यकानूनी दस्तावेजों के अंग्रेजी संस्करण को भारत नाम के अनुरूप परिवर्तित करेगी। साथियों बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय संदर्भ,विश्व साहित्य में भारत का उल्लेख इसको समझने की करें तो बिल के अनुसार,जर्मनी ने 1800 के दशक में भारत को भारत कहा था,कई अंतरराष्ट्रीय यात्रियों, ह्वेनसांग मेगास्थनीज, फाहियान, अल-बिरूनी,ने भारत को एक एकीकृत सांस्कृतिक इकाई भारतवर्ष कहा है।विश्व साहित्य तथा विदेशी शोधों में भी यह शब्द अक्सर मिलता है।इस तर्क के अनुसार,भारत कीअंतरराष्ट्रीय पहचान ऐतिहासिक रूप से भारत शब्द के साथ अधिक संगत बैठती है। स्वतंत्र राष्ट्र के लिए एक नाम की आवश्यकता है बिल के अंतिम तर्क में कहा गया,एक स्वतंत्र राष्ट्र को अपनी पहचान के लिए एक ही नाम रखना चाहिए।इंडिया और भारत दोनों नामों का समानांतर उपयोग भ्रम पैदा करता है। संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक मंचों पर एक ही नाम से जाना जाना अंतरराष्ट्रीय स्थिति को मजबूत करता है। इस दृष्टिकोण से बिल यह मांग करता है कि स्वतंत्र भारत को, संवैधानिक मान्यता प्राप्त नाम भारत के आधार पर अपनी पहचान तय करनी चाहिए। साथियों बात अगर हम इंडिया का नाम भारत होने के संभावित फायदे और नुकसान इसको समझने की करें तो इसके मुख्य फायदे यह माने जाते है कि भारत नाम राष्ट्र की प्राचीन सभ्यता, ऐतिहासिक विरासत और स्वदेशी पहचान को अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

एसआईआर-एक लोक कर्त्तव्य

मेरे जैसे व्यक्ति, जो अपने छात्र जीवन से एक दशक से अधिक समय तक के कामराज की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी का सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता रहा, की नजर में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर वर्तमान बहस अज्ञानतापूर्ण ही नहीं, बल्कि हास्यास्पद भी है। निर्वाचन आयोग का एसआईआर मेरे राजनीतिक कार्यकर्ता वाले काल में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सामान्य चुनावी गतिविधि हुआ करती थी। मयलापुर विधानसभा क्षेत्र में जहां मैं 1960 के दशक से रहता हूं मेरे विधि शिक्षक जो मयलापुर के कांग्रेस नेता भी थे, के नेतृत्व में मैं एवं मेरे सहकर्मी चुनाव से छह महीने पहले हर घर व झोपड़ी में जाते थे और अपने पास मौजूद मतदाता सूची में मृत, दूसरी जगह चले जाने या दूसरी जगह से आने वाले और नए लोगों के नामों की जांच करते थे और पार्टी नेतृत्व के माध्यम से इस बारे में निर्वाचन आयोग को लिखित रूप से सूचित करते थे। हम नए मतदाताओं के नाम जुड़वाने, मृत या विस्थापित मतदाताओं के नाम हटाने और मतदाता सूची को अद्यतन करने में मदद करते थे। हम कांग्रेस की एसआईआर टीम हुआ करते थे, जो भारत निर्वाचन आयोग की सहायता करती थी। डीएमके कार्यकर्ता एसआईआर के काम में कहीं अधिक कुशल थे क्योंकि वे अपेक्षाकृत अधिक प्रतिबद्ध और मेहनती थे। तब पार्टी के कैडर वही काम करते थे जो आज बूथ स्तर के अधिकारी करते हैं। राजनीतिक दल और निर्वाचन आयोग मिलकर मतदाता सूची तैयार करते थे। इस सूची की प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों की एसआईआर टीम द्वारा क्रॉस-चेकिंग की जाती थी। अब मैं मयलापुर की उन गलियों में जब घूमता हूं तो मुझे उन घरों की याद आती है जहां मैं उस समय जाया करता था। इन दिनों एसआईआर पर चल रही जोरदार बहस इस तथ्य को उजागर करती है कि उन दिनों की तुलना में मतदाताओं से कटे हुए आज के राजनीतिक दल इस बात से अनजान है कि कभी वे खुद एसआईआर को एक लोक कर्त्तव्य के रूप में अंजाम दिया करते थे। ये चीजें आखिर बदल कैसे गई? उन दिनों राजनीतिक दलों की एकमात्र पूंजी उनके कार्यकर्ता ही हुआ करते थे लेकिन 1969 में इंदिरा गांधी द्वारा कांग्रेस को तोड़ दिए जाने के बाद राजनीति में गलत पैसा आने लगा और बेशक उनकी पार्टी के लिए बेहिसाब तरीके से आने लगा। इसने राजनीतिक संस्कृति को पूरी तरह से बदल दिया। इंदिरा गांधी ने अमेरिकी राजदूत डैनियल पैट्रिक मोयनिहान से कहा था कि वह =चुनावों को इतना महंगा बना देंगी कि विपक्ष के लिए चुनाव लड़ना ही मुश्किल हो जाएगा= और उन्होंने ऐसा ही किया। जल्द ही, पैसा पहले कांग्रेस पार्टी में और बाद में अधिकांश पार्टियों में कैडर की जगह लेने लगा। तमिलनाडु में 1971 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने डीएमके के साथ गठबंधन किया और कामराज के नेतृत्व वाली कांग्रेस को हरा दिया। तब से सबसे मजबूत कैडर आधार वाली डीएमके में भी पैसा डर की जगह लेने लगा। आज बहुत ही कम पार्टियों के पास कैडर नाम की निधि बची है। पार्टियों ने यह सुनिश्चित किया था कि मतदाता सूची सिर्फ नामों की नहीं, बल्कि जीवित, वास्तविक एवं वैध मतदाताओं की सूची हो। आज उनका मतदाताओं से उस दौर जैसा कोई जुड़ाव नहीं है। मैं यह बात इस तथ्य पर जोर देने के लिए कह रहा हूं कि एसआईआर एक बार की जांच वाली नहीं बल्कि एक निरंतर चलने वाली और सिर्फ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ही नहीं बल्कि सभी दलों द्वारा की जाने वाली गतिविधि है। यह सिर्फ निर्वाचन आयोग का कानूनी कर्त्तव्य नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलों का एक मान्यता प्राप्त लोक कर्त्तव्य है। निर्वाचन आयोग से मतदाताओं से वर्तमान एसआईआर मॉडल के तहत अपना सत्यापन और नामांकन कराने के लिए कहने के बारे में पूछने से पहले राजनीतिक दलों को अपने लोक कर्त्तव्य को नहीं निभाने पर आत्मचिंतन करना चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग और देश के मतदाताओं के बीच एक मध्यस्थ संस्था के तौर पर काम करने वाले राजनीतिक दल अब लुप्त हो चुके है। एसआईआर जो तब एक सामूहिक परियोजना हुआ करती थी अब निर्वाचन आयोग के नेतृत्व में अंजाम दी रही है। अगर राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करें तो एसआईआर कोई समस्या नहीं, बल्कि समाधान है। दरअसल बिहार की एसआईआर परियोजना जो सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त विवादों और बिहार की सड़कों पर ताबड़तोड़ बहस का विषय बनी, मैं आखिरकार 1.60 लाख राजनीतिक एजेंटों ने वैध मतदाताओं की पुष्टि के लिए निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर सक्रिय रूप से काम किया। इन एजेंटों में राजद के 48,000, कांग्रेस के 18,000, भाजपा के 47,000 और जदयू के 37,000 बीएलए शामिल थे। परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट जिसे राजनीतिक दलों, मीडिया और स्वतंत्र होने का दिखावा करने वाले लॉबिस्टों द्वारा निर्दयतापूर्वक हलकान किया जा रहा था, ने अंततः यह बताया कि ऐसी एक भी शिकायत नहीं आई कि किसी मतदाता को अंतिम सूची से बाहर रखा गया हो और यहां तक कि यह भी कह दिया कि बिहार एसआईआर मॉडल अखिल भारतीय एसआईआर में सहायक साबित होगा। तो फिर एसआईआर के खिलाफ मौजूदा राजनीतिक हंगामा क्यों? दोनों पक्षों की ओर से इस बात के साक्ष्य दिए गए है कि लाखों अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में रहते हैं। यूपीए सरकार ने 14 जुलाई 2004 को संसद को बताया था कि 2001 के अंत तक भारत में लगभग 1.2 करोड़ अवैध घुसपैठिए रह रहे थे। यूपीए के गृह मंत्री ने अलग-अलग राज्यों के स्पष्ट आंकड़े दिए थे। असम में 50 लाख, पश्चिम बंगाल में 57 लाख, बिहार में 4.79 लाख, दिल्ली में 3.75 लाख, त्रिपुरा में 3.25 लाख, नगालैंड में 59,500, मेघालय में 3,0000 और महाराष्ट्र में 20,0001 वर्ष 2016 में एनडीए सरकार ने राज्यसभा को बताया था कि अवैध घुसपैठियों की संख्या 2 करोड़ थी। एसआईआर का विरोध करने वाले दलों और राजनेताओं की मंशा साफ है जिसे वे बेशक खुलकर नहीं कह सकते। इन लाखों बंगलादेशियों को वोट देने की अनुमति दी जाए। यह गैरकानूनी और असंवैधानिक होगा। एसआईआर में यही पेच है। पुन-निर्वाचन आयोग पर फेंके गए मतदाता सूची में खामियों के =एटम बम= और =हाइड्रोजन बम= भी दरअसल निर्वाचन आयोग के उस एसआईआर को सही ठहराते है जिसमें दो दशकों की देरी हो चुकी है। ये 'बम' तो बस दो दशकों में इकट्ठा हुई खामियां है।

बांग्लादेश में अब स्वतंत्रता सेनानी और उनकी पत्नी की निर्मम हत्या, आखिर कहाँ जाएँ बांग्लादेशी हिंदू?

बांग्लादेश के रंगपुर में 1971 के मुक्ति संग्राम के वीर योद्धा जोगेश चंद्र रॉय और उनकी पत्नी सुबर्णा रॉय की गला रेतकर हत्या ने जनमानस के मन-मस्तिष्क को झकझोर दिया है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह केवल एक सनसनीखेज आपराधिक घटना है या फिर यह उस गहरी बीमारी का लक्षण है जिसने बांग्लादेश की आत्मा को भीतर तक खोखला कर दिया है? 75 वर्ष के एक स्वतंत्रता सेनानी की इस तरह घर में बेरहमी से हत्या होना किसी भी समाज के लिए शर्म की बात है, लेकिन बांग्लादेश के संदर्भ में यह घटना और भी भयावह इसलिए है क्योंकि यह उस सतत बढ़ते पैटर्न का हिस्सा है जिसमें अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा लगातार बिगड़ती जा रही है। रिपोर्टों के मुताबिक, सुबह जब पड़ोसियों ने दरवाज़ा खटखटाया और कोई जवाब नहीं मिला, तो वह सीढ़ी लगाकर भीतर गए, जहाँ पति का शव डाइनिंग रूम में और पत्नी का शव रसोई में पड़ा था। दोनों के गले बेरहमी से काटे गए थे। न लूटपाट, न कोई विवाद, न कोई सुराग, केवल एक भयावह चुप्पी थी। पुलिस के पास न कोई संदिग्ध है, न कोई दिशा और न किसी तरह की प्रगति। यह एक अकेली घटना नहीं, बल्कि उस अव्यवस्था का प्रतिबिंब है जिसमें आज बांग्लादेश का प्रशासन पूरी तरह जकड़ा हुआ है। देखा जाये तो शेख हसीना को हटाने के बाद से बांग्लादेश में जो माहौल बना है, उसने अल्पसंख्यक समुदायों विशेषकर हिंदुओं, के जीवन को दहशत में बदल दिया है। मंदिर जलाने, हिंदुओं के घरों पर हमले, परिवारों का रातों-रात पलायन और अब स्वतंत्रता सेनानियों की हत्या जैसे मामलों ने दुनिया को झकझोर दिया है। इन सब घटनाओं के बावजूद अंतरिम शासक मुहम्मद यूनुस चुप्पी साधे हुए है। सवाल उठता है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के प्रति आखिर कब तक अपनी आँखें बंद रखेगी? देखा जाये तो यूनुस शासन वास्तव में उन इस्लामवादी ताकतों के सहारे टिका है जिन्होंने हमेशा से अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को चुनौती दी है। जमात-ए-इस्लामी जैसी कट्टरपंथी संगठन खुलकर सक्रिय है और उनके उभार का सीधा परिणाम हिंदुओं पर हमले, दहशत और अब टार्गेट किलिंग है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बांग्लादेश का पुलिस ढांचा खुद अपंग हालत में है। 2024 के आंदोलन के दौरान जिस तरह पुलिस बल पर हमले हुए, उसके बाद आज तक स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। कई पुलिसकर्मी वापस ड्यूटी पर नहीं लौटे, कई मारे गए और कई लापता है। ऐसे में एक स्वतंत्रता सेनानी के दो बेटे जो खुद पुलिस में है, वह अपने माता-पिता की रक्षा तक सुनिश्चित नहीं कर सके तो फिर आम हिंदू परिवार किस पर भरोसा करे? हम आपको यह भी बता दें कि भारत ने 2021 से अब तक बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा के 3,582 मामले आधिकारिक तौर पर उठाए है। मानवाधिकार संगठन चेतावनी पर चेतावनी जारी कर रहे है। लेकिन ढाका के सत्ता-गलियारों में यह सब प्रोपेगेंडा कहकर खारिज कर दिया जाता है। बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या लगातार घट रही है। हर वर्ष हजारों परिवार पलायन कर रहे है और अब जब देश की स्वतंत्रता का प्रतीक व्यक्ति अपने ही घर में असहाय मारा जाता है, तो यह केवल अपराध नहीं, यह पूरे राष्ट्र के चरित्र पर प्रहार है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने [illegible] ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, [illegible] एस. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2017/0862)

रोटरी क्लब के सेवा कार्यों को विधायक ने सराहा

मुरादाबाद। आकांक्षा विद्यापीठ इंटर कॉलेज मुरादाबाद में सौर ऊर्जा आधारित कंप्यूटर सिस्टम और स्मार्ट बोर्ड रोटरी क्लब मुरादाबाद ब्राइट द्वारा भेंट किए जाने पर आयोजित कार्यक्रम में कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे एवं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी दीपा खन्ना , ललित मोहन गुप्ता एवं नीरज अग्रवाल विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम में कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने इस उत्कृष्ट कार्य के लिए रोटरी क्लब एवं सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह परियोजना विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से स्मार्ट शिक्षा से जोड़ने की दिशा में एक मजबूत कदम है। रोटरी क्लब ने समाज सेवा के क्षेत्र में जो आयाम स्थापित किए हैं, उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने कहा कि रोटरी क्लब न केवल समाज सेवा बल्कि आपदाओं के समय भी लगातार सेवाएं प्रदान करता रहा है, जिसके लिए पूरा क्लब बधाई का पात्र है। सेवा कार्यों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, मानव सेवा सबसे महान सेवा है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। रोटरी क्लब जैसी संस्थाएं समाज में सकारात्मक परिवर्तन का जरिया बनती हैं। रोटरी क्लब अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो पीड़ित मानवता की सेवा को समर्पित है। पोलियो वैक्सीन के विश्वव्यापी अभियान ने इसको सशक्त पहचान दी है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोटरी क्लब ब्राइट द्वारा किया गया काम अतुलनीय है। कार्यक्रम में पूर्व महानगर अध्यक्ष भाजपा मनोज गुप्ता एडवोकेट, परिक्षेत्रज्ञ अध्यक्ष रोटरी चक्रेश लोहिया, अनिल खन्ना, प्रदीप शर्मा, विद्यालय संस्थापक डॉ. बृजपाल सिंह यादव, प्रबंधक प्रत्यूष यादव, प्रधानाचार्य चित्रा यादव, हिमांशु यादव, राजेंद्र अग्रवाल, अभिनव गुप्ता सहित रोटरी क्लब मुरादाबाद ब्राइट के समस्त पदाधिकारी, विद्यालय के अध्यापक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।

भागवत कथा में पहुंचे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक

मेजा प्रयागराज।

जनपद प्रयागराज के मेजा स्थित गोसौरा कला में दुर्गावती इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में मंगलवार को प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक पहुंचे। हेलीकॉप्टर से आगमन के बाद उन्होंने अधिकारियों व एसआईआर (स्टेट रैंडिमली वेरीफिकेशन) प्रहरियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। उपमुख्यमंत्री पाठक ने एसआईआर प्रक्रिया को पारदर्शित सरल और पात्रता सुनिश्चित करने की दशा में सरकार का सशक्त प्रयास बताया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया की पात्र व्यक्ति को समय पर लाभ मिले और प्रक्रिया में

विपक्ष पर निशाना साधते हुए एसआईआर प्रहरियों संग की बैठक

अनावश्यक देरी न हो। उन्होंने एसआईआर घर की गति बढ़ाने के लिए टीम को बधाई दी। इस अवसर पर डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग एसआइआर प्रक्रिया को रोकना चाहते है भ्रम फैला रहे हैं उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष नहीं चाहता कि मतदाता पारदर्शिता से पूरा हो क्योंकि पारदर्शी व्यवस्था उनके लिए असहज है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कागजी प्रक्रिया नहीं बल्कि आधुनिक और डिजिटल सत्यापन प्रणाली है जिसे रोकना अब किसी के बस में नहीं। उन्होंने बिहार चुनाव के संदर्भ में विपक्ष के रवैया पर पारदर्शिता एवं विकास की प्रक्रिया से सहयोग का प्रतीक बताया बैठक के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ सुपरवाइजर लेखपाल अफसर को सम्मानित किया गया और उन्हें प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। बैठक के बाद डिप्टी सीएम कथा स्थल पहुंचे जहां उन्होंने जगतगुरु राघवाचार्य महाराज से आशीर्वाद लिया। उनके आगमन पर कथा स्थल पर उपस्थित श्रद्धालुओं में उत्साह देखा गया। कार्यक्रम स्थल पर सुबह से ही भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई थी प्रशासन द्वारा सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई थी। विद्यालय परिसर के पूर्व में एक हेलीपैड भी बनाया गया था। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा की भागवत कथा हमें सत्य धर्म और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उन्होंने ऐसे आयोजनों को समाज में सद्भाव संस्कृति और आस्था की शक्ति को मजबूत करने वाला बताया उन्होंने अभी कहा कि सरकार जनता की सुविधा और पारदर्शी व्यवस्था के लिए निरंतर काम कर रही है। कार्यक्रम के आयोजक भाजपा नेता सुशील मिश्रा ने कहा कि उपमुख्यमंत्री का आगमन उनके क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके दिशा निर्देश से एस आई आर कार्य को नई गत मिलेगी और पत्र व्यक्ति लाभान्वित होंगे उन्होंने सभी ग्रामीण और कार्यकर्ताओं की ओर से उपमुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

महानायक मातादीन बाल्मीकि 1857 की क्रांति के सूत्रधार

सब लोग जानते हैं 1857 की आजादी की लड़ाई की बगावत करने की प्रेरणा मंगल पांडे को मातादीन बाल्मीकि से मिली। मातादीन पांडे जी जीवन भर अंग्रेजों की नौकरी करते रहते। लेकिन मातादीन बाल्मीकि को अछूत होने के नाते भुला दिया गया।

पूर्वज मेरठ के रहने वाले थे। रोजी-रोटी की तलाश में कोलकाता पहुंच गए (जो उस समय ब्रिटिश भारत की राजधानी थी) वैसे तो क्रांति की तारीख 31 मई निश्चित थी लेकिन 29 मार्च 1857 को विद्रोह हो गया। क्योंकि वाक्या यह हो गया की बैरक छावनी में कारतूसको की फैक्ट्री में काम करने वाले अधिकतर फौजी और ब्राह्मण द्वारा बनाई गई अछूत जातियों के थे। उन्हीं में से एक मातादीन वाल्मिक। सैनिक छावनी पहुंचे प्यास लगने पर मंगल पांडे से पीने के लिए पानी मांगा जो मेरठ से ट्रांसफर होकर बैरकपुर आया था।

ऊंची जाति का वाले मंगल पांडे ने पानी पिलाने से इनकार कर दिया। चिढ़कर मातादीन भंगी कैसा है तुम्हारा धर्म एक प्यासे को पानी पिलाने को इनकार नहीं देता और गाय जिसे तुम माता कहते हो लेकिन गाय की चर्बी लगे कारतूस जो बंदूक से बाहर दांतों से खींचते हो।

यह सुनकर सैनिक चौंकता फए विद्रोह उठा और विद्रोह की चिंगारी ने सारे भारत में ज्वाला का रूप ले लिया विद्रोहियों पर चार्जशीट बनाई। चार्ज शीट में सबसे पहले नाम मातादीन बाल्मीकि का

था रिकॉर्ड्स में ब्रिटिश सरकार बकायम मातादीन भंगी था।

मातादीन को विद्रोह का सूत्र धार मानते हुए उस को ही 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी प्रांगण में ही फांसी दे दी गई और कोर्ट मार्शल बाद में हुआ था।

भारतीय इतिहास में शायद यह पहला मामला होगा जिसमें कोर्ट मार्शल बाद में हुआ और फांसी पहले दे दी गई होगी। ब्राह्मण इतिहासकारों ने षडयंत्र करके इतिहास लेखन में भेदभाव के चलते मातादीन भंगी का नाम ही हटा दिया गया। जैसा कि दूसरे दलित और बहुजनों के इतिहास को भी इसी तरह छुपाया गया है।

जबकि इंग्लैंड सरकार के पास सारा ब्यौरा सुरक्षित है।

मातादीन बाल्मीकि को सादर नमन।

मोती राम MA

पूर्व अधिकारी

SHAHDARA

सीडीओ ने की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की समीक्षा

मुरादाबाद।

विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी सुश्री मृणाली अविनाश जोशी की अध्यक्षता में हुई मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक का संचालन योगेश कुमार, संयुक्त आयुक्त उद्योग द्वारा किया गया। बैठक में उद्योग विभाग, आईटीआई, कौशल विकास मिशन, श्रम विभाग एवं सेवायोजन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं पर चर्चा हुई। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा मुख्य रूप से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की समीक्षा बैठक में सेवायोजन अधिकारी, प्रधानाचार्य आईटीआई, जिला समन्वयक कौशल विकास मिशन, सहायक श्रम अधिकारी, जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक सहित बैंकों के जिला समन्वयक/अधिकारी

उपस्थित हुए। संयुक्त आयुक्त उद्योग ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अन्तर्गत जनपद को कुल 2900 का लक्ष्य आवंटित है। जिसके सापेक्ष 4358 आवेदन जनपद की बैंक शाखाओं को प्रेषित किये गये हैं तथा बैंकों द्वारा अब तक कुल 1398 ऋण आवेदन पत्रों पर वितरण की कार्यवाही की गई है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा योजना की धीमी प्रगति पर बैंकवार समीक्षा की गई, जिसमें बैंको को निर्देश दिये गये कि पत्रावली को स्वीकृत करने से पूर्व ही लाभार्थी का सर्वे कर प्रपत्र तैयार कर लिये जायें जिससे होने वाले अनावश्यक विलम्ब से बचा जा सके तथा योजनान्तर्गत बैंकों को आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष माह दिसम्बर तक लक्ष्यों को 65 प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित कर ली जावे, तथा आवेदन पत्रों यादा समय तक बैंक स्तर पर लम्बित न रखा जायें। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि सभी अधिकारी इस योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए समन्वय और समर्पण के साथ कार्य करें। युवाओं को उद्यम लगाने में आने वाली हर बाधा को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाये तथा बैंकों को 15 दिन के भीतर ऋण आवेदनों को निस्तारित करने का सख्त निर्देश दिये गये।

धूमधाम से मनाया जायेगा हस्तशिल्प सप्ताह

मुरादाबाद। राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह के अंतर्गत जिला उद्योग केंद्र मुरादाबाद में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में हस्तशिल्प सप्ताह को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक योगेश सचान ने हस्तशिल्पियों के हित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा की हस्तशिल्पयों को सरकार की लाभकारी एवं वर्तमान योजनाओं का लाभ लगातार दिया जा रहा है। इस अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड वस्त्र मंत्रालय के पूर्व सदस्य आजम अंसारी हस्तशिल्पी जन कल्याण समिति के अध्यक्ष ताहिर हुसैन अनवर अब्बासी, नासिर सब्बरी, रहत अंसारी, जेनब वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष फही मंसूरी साहित्य जिला उद्योग केंद्र की अधिकारी गण मौजूद रहे।

दिल्ली देहात के किसानों ने 12 वर्षों के अन्याय पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सौंपा विस्तृत ज्ञापन — लैंड पूलिंग नीति की अवैध शर्तें तुरंत हटाने की मांग

नई दिल्ली, (ए. के. चौधरी) दिल्ली देहात मोर्चा के प्रतिनिधि-मंडल ने राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष (लोकसभा) से देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन में मुलाकात की और दिल्ली देहात पर पिछले 12 वर्षों से हो रहे अन्याय का विस्तृत तथ्य-पत्र सौंपा। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी मौजूद रहे। प्रतिनिधियों ने कहा कि मौजूदा सरकार ने संविधान और कानून की अनदेखी करते हुए ऐसी नीतियाँ लागू की हैं, जिनसे देहात के हजारों किसान अपने मूल अधिकारों और जमीन से वंचित हो रहे हैं।

प्रतिनिधियों ने विशेष रूप से लैंड पूलिंग पॉलिसी में शामिल चार असंवैधानिक और किसान-विरोधी शर्तों – 5 एकड़ की अनिवार्यता, लगभग 20 करोड़ रुपये तक का बाहरी विकास शुल्क, 40% जमीन मुफ्त देने की मजबूरी, और बिल्डरों के साथ समूह बनाने की बाध्यता – को तुरंत वापस लेने की मांग रखी। किसानों ने इसे "आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा धोखा" बताया।

मोर्चा ने राहुल गांधी से अनुरोध किया कि वे दिल्ली देहात का दौरा करें और इन मुद्दों को संसद के शीतकालीन सत्र में मजबूती से उठाएँ। किसानों का कहना है कि यह लड़ाई अब केवल जमीन की नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की है।

प्रतिनिधि-मंडल ने यह भी मांग की कि दिल्ली मास्टर प्लान 2041 में नए "स्मार्ट विलेज" बनाए जाएँ और 36 बिरादरियों को उनकी ही जमीन में प्लॉट आवंटित करने की "सबको प्लॉट टु स्मार्ट विलेज" योजना लागू की जाए। साथ ही 17 साल पुराने कलेक्टर रेट को 10 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक संशोधित करने, तथा 74/4 जमीन वाले किसानों को खेत और प्लॉट का मालिकाना हक लौटाने की मांग रखी गई।

किसानों ने खून के रिश्तों वाली गिफ्ट डीड पर स्टांप शुल्क समाप्त करने, नजफगढ़ में वेस्ट कैंपस, कंझावला-बुढ़ाना क्षेत्र में नॉर्थ-वेस्ट कैंपस, और दिल्ली देहात में

- लैंड पूलिंग की चारों अवैध व किसान-विरोधी शर्तें हटाने की मांग

-मास्टर प्लान 2041 में स्मार्ट विलेज और प्लॉट योजना लागू करने पर जोर

- जमीन के मालिकाना हक, कलेक्टर रेट वृद्धि और देहात में कैंपस-स्टेडियम की मांग

अंतरराष्ट्रीय मानक का स्पोर्ट्स स्टेडियम स्थापित करने की भी मांग रखी। उनके अनुसार देहात को शिक्षा, खेल और अवसरों से जोड़ना सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है।

दिल्ली देहात मोर्चा के संस्थापक रणबीर यादव ने कहा कि "दिल्ली देहात बारह वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा में खड़ा है। हमारी जमीन, हमारे अधिकार और हमारे भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। हमने राहुल गांधी जी से निवेदन किया है कि वे देहात आएँ और संसद में हमारी आवाज बनें। यह संघर्ष सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि हमारे सम्मान और अस्तित्व का है।"

मुलाकात करने वाले प्रतिनिधि-मंडल में दिल्ली देहात मोर्चा के संस्थापक रणबीर यादव के अलावा दिलबाग सिंह, चौधराज सिंह, शीशराम (पूर्व प्रधान), देवेंद्र डागर, जगदीश यादव (सेवानिवृत्त भारतीय वायुसेना), लेखचंद राणा, योगेश राणा, साहब सिंह, डॉक्टर धर्मनिवास यादव, दीपक, पुष्कर यादव, हरेंद्र फलसवाल, और मीनू वर्मा शामिल थे।

महाकालेश्वर बालाजी धाम मंदिर पर सुंदरकांड के साथ हुआ विशाल भंडारा

मुरादाबाद।

श्री महाकालेश्वर बालाजी धाम मंदिर सम्राट अशोक नगर पर आज प्रत्येक माह को 9 तारीख को होने वाला श्री सुंदरकांड का पाठ, संकट मोचन यज्ञ ,कन्या पूजन ब्राह्मण भोज एवं भंडारा महानगर संत, पूज्य गुरु देव श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री स्वामी संजयनंद गिरी जी महाराज के सानिध्य एवं छत्र छाया में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ जिसमें कमल अग्रवाल, गौ सेवा आयोग के सदस्य श्री दीपक गोयल ,वरिष्ठ समाजसेवी राजेश रस्तोगी कमल अग्रवाल, संजीव अग्रवाल सुमित भारद्वाज, मनोहर लाल जी ,शशिकांत शर्मा जी, किशोर साहू जी, राष्ट्रीय पुजारी परिषद के अध्यक्ष श्याम कृष्ण रस्तोगी ,इंग्लिश शर्मा जी,राहुल वार्ष्णेय , दीपक सक्सेना मोहित पाल शोभित पाल मोहित सिंह , विशेष आशीर्वाद पूज्य योगी पवन नाथ महाराज एवं पूज्य आचार्य गणेशानंद महाराज का रहा। गुरु माता अनीता अग्रवाल , प्रिय गुप्ता ,गीता शर्मा, कविता , गीता, रूबी, प्रिया गुप्ता , मीना कश्यप ,बंटी ,शैली, प्रियम ,देव गुप्ता गीता भरद्वाज ,प्रीति ,गुप्ता, कुहू गुप्ता, ,एकता जी ,कविता ,हेमवती ,शकुंतला , मधु इत्यादि बड़ी संख्या में सैकड़ों भक्तों ने बाबा का प्रसाद ग्रहण किया।

टीएमयू में फॉर्मेसी की लीन कैनवास प्रतियोगिता में सन्देश एंड टीम अव्वल

मुरादाबाद। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद के कॉलेज ऑफ फार्मेसी एवम् इंस्टिट्यूशन इन्नोवेशन काउंसिल- आईआईसी के संयुक्त तत्वावधान में तीन दिनी उद्यमिता विकास कार्यक्रम- उड़ानः द फ्लाइट ऑफ आइडियाज में हुई लीन कैनवास प्रतियोगिता में सन्देश सराफ एंड टीम विजेता रही। जबकि दृश्या एंड टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। समापन समारोह में टीएमयू के वीसी प्रो. वीके जैन ने बतौर मुख्य अतिथि कहा, यदि आप एक उद्यमी है, तो आप अपनी अगली पीढ़ी को कुछ देकर जाते है। उन्हें शून्य से शुरुआत नहीं करनी पड़ती। वे वहीं से आगे बढ़ते हैं, जहां आप छोड़ते हैं। प्रतियोगिता का मूल्यांकन डॉ. अवधेश शर्मा, श्री प्रशांत सिंह, डॉ. फूलचंद, डॉ. आशीष सिंघई ने किया। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारम्भ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के संग हुआ।

इस मौके पर फार्मेसी कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आशु मित्तल, आईक्यूएसी के निदेशक प्रो. निशीथ कुमार मिश्रा, एसोसिएट डीन एकेडमिक्स डॉ. अमित कंसल आदि की उल्लेखनीय मौजूदगी रही। इस कार्यक्रम के तहत 73 स्टुडेंट्स को एक्मे रेमेडीज प्रा. लि., काशीपुर (उत्तराखंड) का औद्योगिक भ्रमण भी कराया गया। इंडस्ट्री विजिट के दौरान स्टुडेंट्स ने उत्पादन लाइन, पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस- जीएमपी आदि से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं का अवलोकन करते हुए उनकी क्रियाविधि को समझा। कंपनी के विशेषज्ञों ने छात्रों को क्वालिटी एश्योरेंस, रेगुलेटरी आवश्यकताओं और फार्मास्युटिकल उद्योग में उद्यमशील चुनौतियों के बारे में जानकारी दी। फार्मेसी कॉलेज के उप-प्राचार्य डॉ. मयूर पोरवाल ने वोट ऑफ थैंक्स दिया। आईक्यूएसी के निदेशक प्रो. निशीथ कुमार मिश्रा ने उद्यमिता की अवधारणा और मूलभूत सिद्धांत- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: भारतीय मूल्य एवं वर्तमान परिदृश्य, जबकि एसोसिएट डीन एकेडमिक्स डॉ. अमित कंसल ने व्यवसायिक अवसरों की पहचान एवम् उत्पाद चयन की प्रक्रिया; अनुसंधान संस्थानों एवं प्रयोगशालाओं से तकनीकी सहयोग विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किए। आईआईसी के सह समन्वयक श्री प्रदीप कुमार वर्मा ने डिजाइन थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग फॉर प्रोडक्ट डवलपमेंट कार्यशाला में नवाचारपूर्ण विचार साझा किए। बिजनेस इनक्यूबेशन मैनेजर श्री प्रशांत सिंह ने स्टुडेंट्स को व्यवसाय मॉडल निर्माण, ग्राहक मूल्य विश्लेषण और बाजार सत्यापन की प्रक्रिया समझाई। टीएमयू आईपीआर के मैनेजर डॉ. उमेश कुमार ने आईपीआर एवम् इनक्यूबेशन इकोसिस्टम पर अवेयरनेस सत्र प्रस्तुत किया।

मानसिक मंदित बच्चों की प्रस्तुति से सभी हुए दंग

फतेहपुर। शहर के जी टी रोड स्थित भावना दिव्यांग विद्यालय में मानसिक मंदता दिवस धूमधाम से मनाया गया । कार्यक्रम का उद्घाटन राजकीय जिला चिकित्सालय की मनोचिकित्सक डॉक्टर रिंकी लाकरा ने सरस्वती मां की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना और स्वागत गीत के साथ किया गया। आए हुए अतिथियों का बैच लगाकर स्वागत किया गया। अंश और फलक ने राधा कृष्ण बनकर मनमोहन गीत संगीत प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया । इसके पश्चात मानसिक मंदित छात्रा हिफजा ने मैं निकला गड्डी लेकर पर नृत्य कर खूब तालियां बटोरी। इसी क्रम में मानसिक मंदित छात्र अभिषेक व अली ने मछली जल की रानी एवं अन्य छोटी-छोटी कविताएं सुना कर सबको प्रसन्न कर दिया। इसके अतिरिक्त मानसिक मंदित बच्चों ने अन्य छोटे-छोटे कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। उक्त अवसर पर भावना दिव्यांग संस्थान के निदेशिका डा0 भावना श्रीवास्तव ने मानसिक मंदता पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए कहा कि मानसिक मंदता कोई बीमारी नहीं एक अवस्था है जिसका कोई इलाज नहीं है । उक्त अवसर पर डॉक्टर लकरा ने मानसिक मंदित बच्चों का परीक्षण किया, स्वाति रस्तोगी के साथ सभी बच्चों को पुरस्कृत भी किया। निर्देशिका ने मानसिक मंदता दिवस के उपलक्ष में बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए अति निर्धन दिव्यांग बच्चों को गर्म कपड़े, स्वेटर, जूते मोजे ,कॉपी किताबें, पेंसिल रबर, रंग आदि वितरित किए । दिव्यांग बच्चों के चेहरे खिल उठे । उक्त अवसर पर दिव्यांग स्कूल परिवार एवं अभिभावकों के अतिरिक्त जिला चिकित्सालय से आशीष, सतीश के अतिरिक्त ,स्वाति रस्तोगी, माधुरी श्रीवास्तव, पूजा वाजपेई, अंजना सिंह, पंकज, रत्ना श्रीवास्तव, मतीन, शानू ,शिवानी, नूरजहां आदि उपस्थित रहे।

नहीं रहे इस्लामी स्कालर डा. अबुल लैस सिद्दीकी

फतेहपुर। इस्लामी स्कालर एवं साहित्यकार डा. अबुल लैस सिद्दीकी के निधन पर फतेहपुर स्टडी सेन्टर में एक शोकसभा का आयोजन किया गया। शोकसभा की अध्यक्षता करते हुए एमआईसी प्रिंसिपल डा0 रफीक अहमद ने डा0 अबुल लैस सिद्दीकी की शख्सियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि डा0 सिद्दीकी दारुल उलूम नदवा से फरागत के बाद इलाहाबाद तिब्बिया मेडिकल कालेज से बीयूएमएस की डिग्री हासिल की और फिर मेडिकल आफीसर की हैसियत से मुलाजमत इख्तियार की। डा0 सिद्दीकी 2009 में मुलाजमत से सेवानिवृत्त हो गये। डा0 रफीक अहमद ने कहा कि वह एक कामयाब डा0 ही नहीं बल्कि एक इस्लामिक दानिशवर के रूप में जाने जाते थे। बड़े-बड़े विद्वान उनकी महफिल में बैठ कर इल्मी प्यास बुझाते थे।

एटीएम लूटने वाले 5 बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार

मुरादाबाद।

सिविल लाइंस क्षेत्र में एटीएम लूट करने वाले बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों तंजीम और मतीम के पैरों में गोली लगी है। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों में एक रिटायर्ड फौजी भी शामिल है। बदमाशों से तीन लाख की नकदी, वारदात में प्रयुक्त कार, तमंचे, कारतूस और अन्य सामान बरामद किया है। अधिकारियों का कहना है कि गैंग के बाकी नेटवर्क की भी जांच की जा रही। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में लोकोशेड पुल के पास

24 नवंबर की देर रात करीब तीन बजे बदमाश फिल्मी स्टाइल में सात लाख की नकदी से भरी एटीएम

गोली लगने से दो बदमाश हुए घायल

मशीन उखाड़ ले गए थे। दूसरे दिन सुबह दस बजे मैनेजर बैंक पहुंचे तो वारदात की जानकारी हुई। सीसीटीवी कैमरों पर स्प्रे करने के बाद बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया और कार से दिल्ली रोड की ओर भाग गए थे। नकदी निकालने के बाद बदमाश एटीएम को 42 किलोमीटर दूर अमरोहा के रजबपुर में फेंक गए। पुलिस की कई टीमें बदमाशों की तलाश कर रही थी। पंजाब नेशनल बैंक की लोकोशेड आईबीडी शाखा का एटीएम दिल्ली हाईवे किनारे है। बैंक मैनेजर मिंटू कुमार ने बताया कि एटीएम में आठ लाख रुपये डाले गए थे। रोज की तरह वह बैंक पहुंचे और उन्होंने एटीएम बूथ में जाकर देखा तो एटीएम गायब था। उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि चेहरे पर नकाब लगाए बदमाश ने पहले एटीएम के तीनों कैमरे पर स्प्रे किया। इसके बाद कैमरे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए। इसी बीच बदमाश एटीएम मशीन को उखाड़ ले गए। चेक करने पर पता चला है कि समय एटीएम मशीन को उखाड़ा गया तब उसमें सात लाख रुपये की नकदी थी। मैनेजर का दावा है कि मशीन की कीमत साढ़े पांच लाख रुपये है। घटना की जानकारी मिलने पर एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह और सीओ सिविल लाइंस कुलदीप गुप्ता भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे थे।

दिल्ली के मरघट वाले हनुमान मंदिर के पास नहीं लगेगा जाम, PWD के नए प्लान से हजारों लोगों को मिलेगी राहत

नई दिल्ली। रिंग रोड पर मरघट वाले हनुमान बाबा मंदिर के आसपास लगने वाले जाम को दूर करने के लिए लोक निर्माण विभाग योजना बना रहा है। हनुमान मंदिर के आसपास पैदल यात्रियों की संख्या बहुत अधिक है। मंगलवार, शनिवार को यहां रिंग रोड पर और हनुमान मंदिर फ्लाईओवर के नीचे पैदल यात्रियों के कारण जाम लगता है। ऐसे में मंदिर के पास रिंग रोड पर स्काईवॉक बनेगा। अगर कोई तकनीकी अड़चन नहीं आई तो मंदिर के पास जमुना बाजार रोड पर भी फुटओवर ब्रिज बन सकेगा। वहीं छत्ता रेल लाल बत्ती को बैक टू बैक यूटर्न से सिग्नल फ्री किया जाएगा। क्योंकि लालकिला कश्मीरी गेट के बीच छत्ता रेल लाल बत्ती पर लगने वाले जाम से यमुना बाजार रोड पर हनुमान मंदिर तक यातायात प्रभावित होता है।

हनुमान मंदिर के पास क्यों लगता है जाम?

हनुमान मंदिर के आसपास पैदल यात्रियों के कारण लगता है जाम मरघट वाले वाले हनुमान बाबा मंदिर के आसपास पैदल यात्रियों के कारण यातायात संचालन में समस्या अधिक बढ़ गई है, खासकर मंगलवार को यहां दो लाख से अधिक श्रद्धालु मंदिर में पहुंचते हैं। शनिवार को भी काफी भीड़ रहती है। ऐसे में मंदिर के आसपास पूरे इलाके का यातायात प्रभावित होता है।

खासकर शाम के समय रिंग रोड पर भी इसके कारण जाम लगता है। यमुनापार से आकर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाला जमुना बाजार रोड भी जाम हो जाता है। कई बार यहां पर आधे घंटे तक लोग जाम में फंसे रहते हैं। यातायात पुलिस को भी यातायात संचालन में पसीने छूट जाते हैं।

स्काईवॉक रिंग रोड और फुटओवर ब्रिज जमुना बाजार रोड का जाम करेगा कम

लोक निर्माण विभाग पिछले कई सालों से इस समस्या का समाधान निकालने के लिए रणनीति बना रहा है, मगर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका था। नई सरकार ने इस प्वाइंट पर फोकस किया है। लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने विभाग ने हाल फिलाहाल यहां के जाम की समस्या का समाधान निकालने के लिए कहा है। जिसके बाद यहां पर रिंग रोड पर हनुमान मंदिर फ्लाईओवर से उतरते ही स्काईवॉक बनाने की बात सामने आई है। स्काईवॉक पर करीब साढ़े चार करोड़ की राशि खर्च किए जाने की योजना है। जिसमें हनुमान मंदिर की तरफ दो तरफ से चढ़ने उतरने का प्रविधान होगा दूसरी तरफ निगमबोध घाट और रिंग रोड बाईपास पर यानी दो प्वाइंट पर उतरने चढ़ने का प्रविधान होगा। इस पर जल्द काम शुरू होने का अनुमान है। वहीं पैदल यात्रियों के कारण खास कर शनिवार और मंगलवार को शाम के समय जमुना बाजार रोड पर भयंकर जाम लग जा रहा है। जमुना बाजार पर भी फुटओवर ब्रिज बनाने की योजना पर विचार है। छत्ता रेल लालबत्ती को सिग्नल फ्री किए जाने की योजना यातायात पुलिस ने एक अध्ययन में पाया है कि छत्ता रेल लालबत्ती यानी लालकिला और जीपीओ के बीच वाली लालबत्ती पर लगने वाले जाम के कारण कई बार स्थिति रिंग रोड के जाम तक को प्रभावित कर देती है।

लोगों से 30-40 पेज के फॉर्म न भरवाएं- मोदी

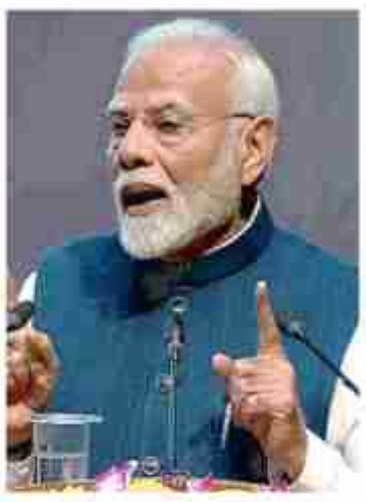

मंत्रियों से कहा- फालतू पेपरवर्क खत्म करें; नियम-कानून जिंदगी आसान बनाने के लिए हों

नई दिल्ली। संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में मंगलवार को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की संसदीय दल की बैठक हुई। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री का माला पहनाकर सम्मान किया गया। पीएम ने बैठक में कहा, मैं फालतू पेपरवर्क और 30-40 पेज के फॉर्म का कल्चर खत्म करना चाहता हूं। हमें नागरिकों के दरवाजे पर सर्विस देनी होगी, बार-बार डेटा जमा करने की जरूरत को खत्म करना होगा। पीएम ने इंडिगो संकट पर कहा- लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें असुविधा नहीं होनी चाहिए। नियम और कानून अच्छे हैं, लेकिन सिस्टम को ठीक करने के लिए लोगों को परेशान करना सही नहीं है। बैठक में पीएम ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार जीत के शिल्पकार हैं। सरकार ने सेल्फ-सर्टिफिकेशन की इजाजत देकर नागरिकों पर भरोसा किया। इस बात पर जोर दिया कि यह भरोसा बिना किसी गलत इस्तेमाल के 10 साल से कामयाबी से काम कर रहा है। ईज ऑफ लाइफ और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों ही मोदी सरकार की प्राथमिकता है। देश अब पूरी तरह से 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' फेज में है, जहां सुधार तेजी से और साफ इरादे से हो रहे हैं।सरकार के सुधार पूरी तरह से नागरिक-केंद्रित हैं, न कि सिर्फ आर्थिक या रेवेन्यू-केंद्रित। इसका लक्ष्य लोगों की रोजमर्रा की मुश्किलों को दूर करना है ताकि वे अपनी पूरी क्षमता तक बढ़ सकें।

11 दिसंबर को एनडीए सांसदों का डिनर

पीएम मोदी 11 दिसंबर को एनडीए के सभी सांसदों के लिए विशेष रात्रिभोज का आयोजन करने वाले हैं। इसका उद्देश्य सहयोगी दलों के साथ बेहतर तालमेल, समन्वय और संसद सत्र के दौरान साझा रणनीति तैयार करना बताया जा रहा है। इस डिनर में सरकार के विधायी एजेंडे, सेशन की प्राथमिकताओं और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है।

दिल्ली, बेंगलुरु और राजस्थान के पुलिस को भेजे धमकी भरे ईमेल, पुलिस ने आरोपी शख्स को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली, बेंगलुरु और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पुलिस इकाइयों को कथित तौर पर धमकी भरे ईमेल भेजने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि अभय नाम के आरोपी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से संबंध होने का झूठा दावा करते हुए मैसेज भेजे और जांचकर्ताओं को गुमराह करने के लिए जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का मोबाइल नंबर भी दिया।

राज्यों में एसआईआर के काम में बाधा पर अदालत सख्त, सुप्रीम कोर्ट- ईसी संज्ञान में लाए, हम आदेश पारित करेंगे

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को धमकाने के अलावा चुनाव आयोग की तरफ से कराए जा रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के काम में कथित तौर पर बाधा डालने की घटनाओं को गंभीरता से लिया है।

अदालत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग से मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सहयोग की कमी को गंभीरता से लेने को कहा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने चुनाव आयोग से कहा, वह एसआईआर के काम में अलग-अलग राज्य सरकारों की तरफ से सहयोग की कमी को गंभीरता से लें। सर्वोच्च अदालत ने कहा, अगर हालात और बिगड़ते हैं तो पुलिस तो तैनात करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि उनके पास सभी संविधानिक शक्तियां हैं, जिससे हम बीएलओ और अन्य अधिकारियों को धमकाने की घटनाओं से डील कर सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव पैनल चुनाव प्रक्रिया शुरू होने तक पुलिस को अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं ले सकता। इससे निपटें वरना इन हालातों से अराजकता हो सकती है। चुनाव आयोग की तरफ से अदालत में पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में तनाव के कारण बीएलओ के आत्महत्या करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उन्हें 30-35 वोटरों के छह-सात घरों की गिनती का काम करना होता है। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि यह डेस्क का काम नहीं है और बीएलओ को घर-घर जाकर गिनती का फॉर्म भरना होता है और फिर उसे अपलोड करना होता है। जस्टिस बागची ने कहा, यह उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। चुनाव आयोग ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कामकाज की निगरानी के लिए पांच वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को स्पेशल रोल ऑब्जर्वर (एसआरओ) नियुक्त किया है। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। जिन अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, उनमें रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव कुमार रवि कांत सिंह को प्रेसिडेंसी संभाग के लिए एसआरओ बनाया गया है, जबकि गृह मंत्रालय के नीरज कुमार बांसोद को मेदिनीपुर संभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कृष्ण कुमार निराला बर्दवान संभाग के लिए एसआरओ होंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस के एक अधिकारी ने बताया कि एसआरओ की नियुक्ति से सभी संभागों में एसआईआर प्रक्रिया की जांच मजबूत होगी। राज्य में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण 4 नवंबर को शुरू हुआ था। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी।

राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला, कहा- चुनाव आयोग के जरिए लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है बीजेपी सरकार

वोट चोरी से बड़ा कोई राष्ट्र-विरोधी काम नहीं - राहुल

नई दिल्ली। शीतकालीन सत्र में मंगलवार को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी चुनाव सुधारों पर हो रही चर्चा में शामिल हुए। चर्चा के दौरान खादी पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि, देश के पहनावे में देश की झलक दिखती है। खादी देश का भावना है। हमारा देश 150 करोड़ लोगों से बना है। देश के सारे धागे एक जैसे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस सभी संस्थाओं पर कब्जा करना चाहता है। नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा।

यह असहज करने वाला सत्य है। चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान सदन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि 30 जनवरी, 1948 को महात्मा गांधी की छाती में तीन गोलियां लगीं। नाथूराम गोडसे ने हमारे राष्ट्रपिता की हत्या कर दी। आज हमारे दोस्तों ने उन्हें दूर धकेल दिया है। यह एक असहज सच्चाई है, लेकिन प्रोजेक्ट यहीं खत्म नहीं हुआ। जैसा कि मैंने कहा, सब कुछ वोट से निकला है। सभी संस्थाएं वोट से निकली हैं। इसलिए यह साफ है कि आरएसएस को उन सभी संस्थाओं पर कब्जा करना होगा जो वहां से निकली हैं। राहुल गांधी ने कहा, सभी जानते हैं कि कैसे भारत के विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलरों की नियुक्ति हो रही है। उन्होंने कहा कि इससे कोई मतलब नहीं है कि व्यक्ति की योग्यता क्या है, बस उसकी एक योग्यता है कि वह संघ से जुड़ा हो। इस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी से कहा कि आप चुनाव सुधार पर ही बोलिए, किसी संगठन का नाम मत लीजिए। राहुल के बयान पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हम सभी लोग नेता प्रतिपक्ष को सुनने के लिए ही बैठे हैं। अगर वह विषय पर ही नहीं बोलेंगे, तो क्यों समय खराब कर रहे हैं सबका। सत्ता पक्ष के हंगामे पर राहुल गांधी ने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। शिक्षण संस्थाओं पर कब्जा किया गया है। सीबीआई, ईडी पर भी एक संस्था से जुड़े लोगों ने कब्जा किया गया है। तीसरी संस्था चुनाव आयोग पर भी एक संस्था का कब्जा है, जो देश में चुनाव को नियंत्रित करती है। मेरे पास इसके सबूत हैं। भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने के लिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है। सीजेआई को सीईसी की नियुक्ति प्रक्रिया से हटाया गया। एक तरफ पीएम मोदी और अमित शाह बैठे थे और दूसरी तरफ मैं। किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। दिसंबर 2023 में नियम बदल यह प्रावधान किया कि किसी भी चुनाव आयुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता। यह 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किया गया। सीसीटीवी और डेटा को लेकर नियम बदले गए। सत्ता के साथ चुनाव आयोग का तालमेल है।

हम सिकंदर को क्यों महान कहे, हम महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, ...को महान क्यों नहीं कहते- योगी

गोरखपुर।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में है। वह आज सैनिक स्कूल में देश के पहले सीडीएस (चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ) स्व. विपिन रावत की स्मृति में बने ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने देश के प्रथम सीडीएस पद्म विभूषण जनरल विपिन रावत जी को विनम्र श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान कहा कि हम सिकंदर को क्यों महान कहे.. हम महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, जनरल विपिन रावत को महान क्यों नहीं कहते। हमारे लिए विदेशी आक्रांता महान नहीं हो सकते है। पूर्व में इतिहास में छेड़छाड़ कर विदेशी आक्रांताओं को महान बनाने का काम किया है वो गुलामी की मानसिकता है, जिसे त्यागना होगा। आप को बता दें कि गोरक्षपीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ द्वारा स्थापित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 93वें संस्थापक सप्ताह का शुभारंभ 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के साथ हुआ था। शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्र आपदा प्रबंध प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का 10 दिसंबर को समापन सप्ताह भर चली विभिन्न प्रतियोगिताओं के मेधावियों को पुरस्कृत करने के साथ होगा। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के हाथों पुरस्कृत होंगी। इस दौरान परिषद की सर्वश्रेष्ठ संस्था, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी, इंटरमीडिएट, स्नातक व परास्नातक के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को स्वर्ण पदक भी प्रदान किया जाएगा। संस्थापक समारोह के मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के हाथों महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति स्वर्गीय प्रो. यूपी सिंह पर केंद्रित पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। इस पुस्तक जीवन के साधना पथ का गृहस्थ सन्यासी प्रो. उदय प्रताप सिंह एवं जीवन मूल्य का प्रकाशन प्लाक्षा प्रकाशन ने किया है।

लोकसभा में 'बंकिम दा वाली टिप्पणी को लेकर माफी मांगें प्रधानमंत्री मोदीः सीएम ममता बनर्जी

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को 'बंकिम दा कहकर अपमानित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी को माफी मांगनी चाहिए। ममता बनर्जी ने कूचबिहार जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब देश आजाद हुआ था तब प्रधानमंत्री का जन्म भी नहीं हुआ था लेकिन फिर भी उन्होंने बंगाल के सबसे महान सांस्कृतिक प्रतीकों में से एक मानी जाने वाली हस्ती को इस तरह संबोधित किया। उन्होंने कहा, आपने (मोदी) उन्हें (बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय) वह न्यूनतम सम्मान भी नहीं दिया, जिसके वह हकदार है। आपको इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा में चट्टोपाध्याय द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा लेखक का उल्लेख किया जाना विवाद का विषय बन गया। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद सौगत रॉय ने 'दा शब्द के प्रयोग पर आपत्ति जताई और प्रधानमंत्री से इसके स्थान पर 'बंकिम बाबू कहने का आग्रह किया। मोदी ने तुरंत इस भावना को स्वीकार करते हुए कहा, ''मैं बंकिम 'बाबू कहूंगा। धन्यवाद, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं और हल्के-फुल्के अंदाज में पूछा कि क्या वह अब रॉय को भी 'दादा कह सकते हैं। ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए दावा किया कि अगर यह पार्टी राज्य में सत्ता में आई तो बंगाल की संस्कृति, भाषा और विरासत को नष्ट कर देगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पूरी होने पर अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के तुरंत बाद राज्य में विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी जाएगी ताकि कोई भी इसे अदालत में चुनौती न दे सके।

इस्लाम की आस्था के खिलाफ कोई नारा या गीत मंजूर नहीं- मौलाना मदनी

नई दिल्ली। वंदे मातरम पर संसद में चर्चा के बीच मौलाना अरशद मदनी का इस पर बड़ा बयान सामने आया है. जमीयत उलेमा ए हिन्द के अध्यक्ष मदनी ने वो वजह बताई, जिसके कारण मुसलमान इसे कबूल नहीं कर सकते. मदनी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, किसी शख्स के वंदे मातरम बोलने या गाने पर हमें हरगिज कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मुस्लिम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता है. मुसलमान अल्लाह के अलावा इबादत में किसी अन्य को शामिल नहीं कर सकता. वंदे मातरम का अनुवाद शिर्क से जुड़ी मान्यताओं पर आधारित है. मदनी ने लिखा, वंदेमातरम के चार छंदों में देश को देवतुल्य मानकर इसकी तुलना की दुर्गा माता से की गई है. पूजा के शब्दों का इस्तेमाल है. वंदे मातरम का मतलब ही है, मां मैं तेरी पूजा करता हूं. यह मुसलमानों के धार्मिक विश्वास के खिलाफ है. किसी को इस्लाम की आस्था के खिलाफ कोई नारा या गीत गाने को मजबूर नहीं कर सकते. संविधान में अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है. देश प्रेम करना अलग बात है, लेकिन पूजा करना अलग बात है. मुसलमानों की देशभक्ति के लिए किसी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है. आजादी में उनकी कुर्बानी इतिहास में दर्ज है. हम एक खुदा को मानने वाले है, अल्लाह के अलावा किसी और को पूजनीय नहीं मानते है और न ही किसी के आगे सजदा करते हैं. मर जाना कबूल है, लेकिन खुदा के साथ किसी को शामिल करना कभी कबूल नहीं.

इंडोनेशिया के जकार्ता में सात मंजिला ऑफिस बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 20 लोगों की मौत

जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के केमायोरन इलाके में मंगलवार दोपहर एक सात मंजिला ऑफिस बिल्डिंग में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। इसमें कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आग पर काबू पा लिया गया है और इमारत के अंदर राहत व खोजबीन अभियान जारी है। इस जानकारी की पुष्टि सेंट्रल जकार्ता पुलिस प्रमुख सुसात्यो पुर्नोमो कोंड्रो ने की। कोंड्रो के अनुसार आग दोपहर के समय इमारत की पहली मंजिल पर लगी और धीरे-धीरे ऊपर की मंजिलों तक फैल गई। जिस समय आग लगी, कई कर्मचारी लंच कर रहे थे, जबकि कुछ ऑफिस से बाहर जा चुके थे। जकार्ता डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के प्रमुख इस्वान अदजी ने बताया कि आग के कारणों की जांच जारी है और नुकसान के आकलन पर काम हो रहा है। उनके मुताबिक आग कैसे लगी, यह अब भी जांच का विषय है। अधिकारियों ने आग बुझाने के लिए 28 फायर ट्रक और 101 कर्मियों को तैनात किया था। मृतकों और घायलों को पहचान और इलाज के लिए पूर्वी जकार्ता के क्रामत जाति पुलिस हॉस्पिटल ले जाया गया। यह इमारत टेरा ड्रोन इंडोनेशिया का मुख्यालय है, जो खनन, कृषि समेत कई क्षेत्रों में ग्राहकों को हवाई सर्वे ड्रोन सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी है। अधिकारियों का कहना है कि राहत कार्य पूरा होने तक इमारत को पूरी तरह सील रखा जाएगा।

राज्यसभा में अमित शाह पर बरसे खरगे, कहा- हम 60 सालों से गा रहे हैं वन्दे मातरम, आपने अब शुरुआत की

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि जब 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान उनकी पार्टी के नेता वंदे मातरम का नारा लगाते हुए जेल में बंद थे, तब भाजपा के वैचारिक पूर्ववर्ती अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे। राज्यसभा में वंदे मातरम पर बहस में भाग लेते हुए, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम को नारा बनाने का काम किया था।

खड़गे ने कहा कि आपका (भाजपा) इतिहास रहा है कि आप हमेशा स्वतंत्रता संग्राम और देशभक्ति के गीतों के खिलाफ रहे हैं। जब महात्मा गांधी ने 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, तो कांग्रेस के लाखों स्वतंत्रता सेनानी वंदे मातरम का नारा लगाते हुए जेल गए। आप क्या कर रहे थे? आप अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। खड़गे ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह भी यही करते हैं। राज्यसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा हो रही है। इससे पहले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को उन आरोपों को खारिज कर दिया कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर राज्यसभा में विशेष चर्चा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक रूप से आयोजित की गई थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि आलोचकों को राष्ट्रीय गीत की विरासत और महत्व के बारे में नए सिरे से सोचने की जरूरत है। उच्च सदन में बोलते हुए, शाह ने कहा कि कुछ विपक्षी सांसदों ने कहा था कि यह बहस पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति से जुड़ी है। शाह ने कहा, कुछ लोगों का मानना ?? है कि चूंकि बंगाल में चुनाव है, इसलिए यह चर्चा हो रही है। वे वंदे मातरम के महिमामंडन को पश्चिम बंगाल चुनावों से जोड़ना चाहते हैं।

अखिलेश ने मृतक बीएलओ के परिजनों के लिए 1 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की; मतपत्र आधारित चुनाव पर दिया जोर

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के नेता और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने मंगलवार को संसद में उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में लगे बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) की मौतों पर चिंता जताई और केंद्र से उनके परिवारों को वित्तीय और संस्थागत सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने चुनावों में मतपत्रों के इस्तेमाल की अपनी पार्टी की लंबे समय से चली आ रही मांग को भी दोहराया और तर्क दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को लेकर कई सवाल उठते रहते हैं। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान बोलते हुए, सपा प्रमुख ने कहा कि अब तक, राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 10 बीएलओ अपनी जान गंवा चुके हैं। हम मांग करते हैं कि मृतक बीएलओ के परिवारों को एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि और मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। उन्होंने मतपत्रों को फिर से लागू करने की अपनी पार्टी की मांग दोहराई और जोर देकर कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग तकनीकों को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि चुनाव मतपत्रों से कराए जाने चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल पर कई सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) पर तीखा हमला बोलते हुए उसकी निष्पक्षता और मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कानूनी अधिकार, दोनों पर सवाल उठाए। संसद के निचले सदन को संबोधित करते हुए, तिवारी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ कई सदस्यों को भारतीय चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने पड़ रहे हैं।